म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2271/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2023

दिनांक 08/09/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय,
रायसेन (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 38(10)(ख) एवं (ङ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2023–24** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की **05.07.2023 एवं 08.09.2023** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty Of Management	BBA	20,000	17000	3000	20000
		MBA (Finance / Marketing/ HR / Entrepreneurship)	58,000	49300	8700	58000
		Ph. D.(Management & Comm.)	80,000	61710	10890	72600
2	Faculty Of Commerce	B.COM (P), (CA) (Hon)	15,000	12750	2250	15000
		M.COM	15,000	12750	2250	15000

निरंतर–02

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यकर्मों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

8	Faculty Of Library Science	B. Lib	12,000	10200	1800	12000
		M. Lib	15,000	12750	2250	15000
		Ph. D (Library Science)	80,000	62560	11040	73600
9	Sam College Of Ayurvedic Sciences & Hospital (Faculty Of Ayush)	BAMS	320,000	198305	34995	233300
10	Sam College Of Pharmacy (Faculty Of Pharmacy)	B. PHARMACY	80,000	50150	8850	59000
		D.PHARMACY	70,000	58310	10290	68600
11	Sardar Ajeet Singh Memorial College (Faculty Of Education)	B.ED	40,000	34000	6000	40000
		M.A.Education	25,000	21250	3750	25000
		Ph. D Education	80,000	47940	8460	56400
12	Faculty Of Nursing	B.SC Nursing	80,000	58565	10335	68900
		Post Basic (B.Sc) Nursing	60,000	51000	9000	60000
13	Faculty Of Paramedical Sciences	BMLT	55,000	36295	6405	42700
		DMLT	40,000	25585	4515	30100
		Bachelor of X Ray Radiographer Technician	54,000	35785	6315	42100
		Bachelor of Human Nutrition	35,000	23205	4095	27300
		MMLT (Hematology, Histopathology, Microbiology, Biochemistry)	70,000	46410	8190	54600
		BPT	55,000	36210	6390	42600
		MPT (Sports, Ortho, Neuro, Cardio, Obst & gyane)	80,000	52445	9255	61700
		Diploma In Yoga	10,920	8755	1545	10300
		X-RAY Technician	30,000	19890	3510	23400
14	Diploma-Certificate & New Courses Of Science, Arts & Engineering	Diploma in English Proficiency & Basic of Skill	10,920	9265	1635	10900
		Diploma in Bakery & Confectionary	11,610	9860	1740	11600
		Diploma in Beauty Culture & Cosmetics	10,920	9265	1635	10900
		P.G. Diploma in Sports Coaching	10,920	9265	1635	10900
		DCA	11,150	9520	1680	11200
		Diploma Animal Husbandry	10,470	8925	1575	10500
		Diploma in Agriculture	12,520	10625	1875	12500

निरंतर–05

//06//

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. **सत्र 2023–24** हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये ।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत मे कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क निर्धारण किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नही है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

08/7/23

(डॉ.के.पी.साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक........../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल